न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 121/2020
GCMS NO. : 2020/00242

–: प्रार्थीगण :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. मुनीराम पुत्र धुकलराम जाति मेघवाल, निवासी बरसी उर्फ चैनपुरा, तहसील जैतारण जिला ब्यावर।		1. गुणेन्द्र सिंह पुत्र शंकरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी रास तहसील जैतारण जिला ब्यावर।
2. चम्पालाल पुत्र नेनाराम जाति मेघवाल निवासी साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला ब्यावर।		2. तहसीलदार जैतारण जिला ब्यावर।
3. रमेश चन्द्र पुत्र चोथाराम जाति मेघवाल, निवासी निम्बेटी, तहसील जैतारण, जिला ब्यार।		
4. कानाराम पुत्र भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी भीवगढ़, तहसील जैतारण जिला ब्यावर।		

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:–06/10/2020

उपस्थितः–
1. श्री सुरेश चौधरी, श्री डांवरराम चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री भाकर सिंह भाटी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01।

–:: निर्णय ::– दिनाँक :–24/01/2024

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना–पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा रास प्रथम, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में स्थित है। जिनके खसरा नम्बर 830/4 रकबा 08 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 3227/830 रकबा 08 बीघा 00 बिस्वा, खसरा नम्बर 3229/830 रकबा 08 बीघा 00 बिस्वा की भूमि आई हुई है। जिसकी नकल चालू जमाबंदी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये राजस्व मौजा रास प्रथम में पटवार हल्का रास प्रथम, तहसील जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 818 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा जो कि किस्म बारानी दोयम के चालू ... राज्य सरकार की भूमि है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 821 रकबा ... बीघा 0... बिस्वा किस्म बारानी दोयम की अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि है। इस प्रकार से खसरा नम्बर 818 ... आगे खसरा नम्बर 821 की भूमि में होते हुये प्रार्थीगण अपने खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 830/4, 3227/830, 3229/830 की भूमि में निर्विवाद रूप से वर्षो पूर्व से आवागमन करते रहे है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि 830/4, 3227/830,

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.16 16:43:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

3229/830 में आवागमन के लिये खसरा नम्बर 818 व 821 की भूमि में से होते हुये जाते है। इस प्रकार से प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 830/4, 3227/830, 3229/830 की भूमि तक मौके पर वर्षों पूर्व से आवागमन के लिये रास्ता है जिसे प्रार्थीगण रास्ते के रूप में काम में लेते हुये अपने खसरा नम्बरान की भूमि में वर्षों पूर्व से आते जाते रहे है। इस रास्ते की भूमि का नजरी नक्शा बनाकर इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा है उक्त नजरी नक्शे में मार्क ए बी सी से दर्शित भूमि से प्रार्थीगण अपने खसरा नम्बर 830/4, 3227/830, 3229/830 की भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 के खसरा नम्बर 821 व राज्य सरकार की भूमि खसरा नम्बर 818 से होते हुये वर्षों पूर्व से यानि सेटलमेन्ट के समय से पूर्व से ही आवागमन करते रहे है। इस प्रकार से नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ए बी सी खसरा नम्बर 818 व 821 में विवादित रास्ते की जगह है। इस रास्ते की भूमि से होते हुये प्रार्थीगण आवागमन करते रहे है तथा रास्ता मौके पर खुला चला आ रहा है। प्रार्थीगण इस रास्ते का बतौर आवागमन के रूप में एज अ०फ राईट सुखाचार के रूप में काम में लेते आ रहे है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में मार्क ए बी सी से दशायें गये रास्ते वाले स्थल से होकर प्रार्थीगण से पूर्ववर्ती खातेदार सेटलमेन्ट के समय से अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करते रहे है इस प्रकार से उक्त रास्ता कदीमी है। लेकिन वक्त सेटलमेंट के नक्शा ट्रेश में उक्त रास्ता की भूमि रास्ते के रूप में तरमीम नही हो पायी थी तथा उक्त रास्ते की भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई थी। किन्तु मौके पर रास्ता आज दिन तक वर्तमान में भी चल रहा है। लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने की वजह से अप्रार्थी संख्या 01 बदनियतीपूर्वक उक्त रास्ता बंद करने को आमादा है। तथा इसी नियत से दिनांक 27.06.2020 को अप्रार्थी संख्या 01 के पारिवारिक सदस्यों ने जेसीबी मशीन लगाकर प्रार्थीगण का आवागमन बन्द करने की मंशा से रास्ता वाले स्थल पर खन्दक बनाकर कांटे डालकर रास्ता अवरूद्ध करने का प्रयास किया जिस पर प्रार्थीगण को मालुम पड़ने पर उन्होने अप्रार्थी संख्या 01 व उसके पारिवारिक सदस्यों को समझाईश भी कि लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 नहीं मान रहा है। इस प्रकार से यदि अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थीगण के इस एक मात्र रास्ते को बंद कर देता है तो प्रार्थीगण हमेशा-हमेशा के लिये अपने खातेदारी भूमि पर आवागमन नहीं कर पायेंगे। जिससे प्रार्थीगण को भारी परेशानी होगी व नुक्सान होगा। इस बाबत् प्रार्थीगण विधिक प्रावधानों अनुसार रास्ते की मुआवजा राशि देने बाबत् भी तैयार है व उसके बावाजूद भी अप्रार्थी संख्या 01 नहीं मान रहा है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण का कदीमी रास्ता है। जिसका विधि अनुसार मुआवजा राशि भी अदालत श्रीमान् द्वारा तय किया जावे। उक्त मुआवजा राशि प्रार्थीगण देने को भी तैयार है या न्यायालय में जमा करवाने को तैयार है। नजरी नक्शें में दर्शित रास्ते की भूमि मार्क ए बी सी को खसरा नम्बर 818 व 821 की भूमि से [illegible] जाकर रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक है व रास्ते का खसरा नम्बर [illegible] से भी कायम किया जाना आवश्यक है। उक्त रास्ते की भूमि को भी प्रार्थीगण रास्ते के रूप तरमीम करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र विधि के प्रावधानों अनुसार अन्दर म्याद आवश्यक न्याय शूल्क के प्रस्तुत कर पेश किया जा रहा है। जो अदालत श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तोवजात के

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.16 16:43:07 IST
Reason: SelfAttested

पेश कर श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे के माफिक राजस्व मौजा रास प्रथम, पटवार हल्का रास प्रथम, तहसील जैतारण में प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि 830/4, 3227/830, 3229/830 में आवागमन के लिये 30 फुट चौड़ाई में रास्ता अप्रार्थीगण की खसरा नम्बर 818 व 821 की भूमि में से नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ए बी सी की भूमि जो कि मौके पर 30 फुट की चौड़ाई में रास्ते के रूप में काम आ रही है। उक्त रास्ते की भूमि को अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी कृषि भूमि से कम किया जाकर प्रार्थीगण के विवादित भूमि पर आने जाने का रास्ता कायम किये जाने का निर्णय व फैसला फरमावे व रास्ता दर्ज किये जाने वाली भूमि का बाद पेमाईश रकबा का मुआवजा तय फरमावे व प्रार्थीगण द्वारा मुआवजा राशि न्यायालय में जमा करवाने पर उसे अप्रार्थी संख्या 01 को अदा फरमावें व सायल का उक्त रास्ता कायम करते हुये प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को मन्जूर फरमाकर प्रार्थीगण को न्याय दिलावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकालतनामा व इकबालिया जवाब प्रार्थना–पत्र पेश हुआ, जिसे शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने इकबालिया जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्य आंशिक रूप से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ता बाबत् कथन एवं तथ्य कि रास्ता प्रचलन में तो है लेकिन राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। इसलिये प्रार्थना में वर्णित रास्ते को राजस्व रेकर्ड में अलग से मीन नम्बर जारी करते हुये दर्ज किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 821 की भूमि में से पड़ौसी खसरा नम्बर 820/1 के लगते ही खसरा नम्बर 820/1 व अप्रार्थी संख्या 01 के खसरा नम्बर 821 के बीच स्थित माठ की लम्बाई तक 30 फीट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी संख्या 01 अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 821 में से देने को तैयार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने एवं रास्ते के अलग मीन नम्बर जारी होने के पश्चात् भी उक्त रास्ते में अप्रार्थी संख्या 01 भी उपयोग–उपभोग व आवागमन का स्वतंत्र रूप से अधिकारी होगा। अतः श्रीमान् अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से इकबालिया जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुतोष माफिक प्रार्थना पत्र को फैसल सुमार फरमावें ।

तहसीलदार, जैतारण से सार्वजनिक रास्ता दिये जाने के संबंध में रिपोर्ट न्यायालय हाजा के आदेश क्रमांक/कोर्ट/2023/92 दिनांक 21/02/2023 द्वारा चाही गई थी। तहसीलदार, जैतारण ने अपनी तथ्यात्मक जाँच रिपोर्ट मय भू–अभिलेख निरीक्षक रास की मौका फर्द दिनांक 24/07/[illegible] को पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि [illegible] नम्बर 3227/830 क्षेत्रफल 1.2950 हैक्टेयर तक जा[illegible] नम्बर 818 व 821 में से होकर कदीमी रूप से चल रहा है। नजरी नक[illegible] संलग्न है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता आत्यांतिक आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की कृषि भूमि तक जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा वांछित प्रस्तावित रास्ते की खसरा वाईज विगत निम्नानुसार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.16 16:43:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

1. खसरा नम्बर 818 लम्बाइ x चौडाई-128X9 मीटर, क्षेत्रफल 1152 वर्गमीटर, क्षेत्रफल 0.1152 हैक्टेयर
2. खसरा नम्बर 818 लम्बाइ x चौडाई-54X9 मीटर, क्षेत्रफल 486 वर्गमीटर, क्षेत्रफल 0.0486 हैक्टेयर
3. खसरा नम्बर 821 लम्बाइ चौडाई-72X9 मीटर, क्षेत्रफल 648 वर्गमीटर, क्षेत्रफल 0.0648 हैक्टेयर

इस प्रकार खसरा नम्बर 818 जो कि राजकीय भूमि है, में से कुल 1638 वर्गमीटर भूमि तथा खसरा नम्बर 821 में से 648 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु दिया जाना प्रस्तावित है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि तक आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है। कदीमी रूप से चल रहा है, परन्तु राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन करते हुए पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास की तथ्यात्मक रिपोर्ट आदि का अध्ययन करते हुए अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का बिन्दूवार विवेचन एवं निणर्यन निम्नानुसार है-

1. प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रास प्रथम, तहसील जैतारण में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 830/4 रकबा 1.3921 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 3227/830 रकबा 1.2950 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 3229/830 रकबा 1.2950 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल तक पहुंच के लिए कोई अभिलिखित रास्ता एवं पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी की आराजी में पहुँच के लिए कदीमी रास्ता खसरा नम्बर 818 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा जो कि किस्म बारानी दोयम के चालू पड़त राज्य सरकार की भूमि है एवं खसरा नम्बर 821 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि में से होकर आता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि 830/4, 3227/830, 3229/830 में आवागमन के लिये 30 फुट चौड़ाई में रास्ता अप्रार्थीगण की खसरा नम्बर 818 व 821 की भूमि में से उपलब्ध करवाया जाए, जिसके लिए प्रार्थीगण राशि भुगतान करने के लिए तैयार एवं तत्पर है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की जोत तक पहुंच के लिए रास्ता स्वीकृत फरमावे।
2. अप्रार्थी संख्या 01 ने इकबालिया जवाब प्रार्थना-पत्र पेश करते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ता बाबत् कथन एवं तथ्य कि रास्ता प्रचलन में तो है लेकिन राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। इसलिये प्रार्थना में वर्णित रास्ते को राजस्व रेकर्ड में अलग से मीन नम्बर जारी करते हुये दर्ज किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 01 को कोई आपत्ति नह[illegible]
3. प्रकरण में तहसीलदार, जै[illegible] प्रतिवेदन चाहा गया। तहसीलदार जैतारण मय भू[illegible] रास की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 26.06.2023 को तैयार एवं दिन[illegible] 24.07.2023 को न्यायालय में प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन मय टीआरए रिपोर्ट के निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता आत्यांतिक आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.16 16:43:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

प्रार्थीगण की कृषि भूमि तक जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। खसरा नम्बर 818 जो कि राजकीय भूमि है, में से कुल 1638 वर्गमीटर भूमि तथा खसरा नम्बर 821 में से 648 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु दिया जाना प्रस्तावित है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि तक आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है। कदीमी रूप से चल रहा है, परन्तु राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है।

4. रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 (क) में कानूनी प्रावधान निम्नानुसार हैः–

251– क ''अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना सा विद्यमान मार्ग का विस्तार करना–

(1) जहाँ

(क)–कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या

(ख)– कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि–

(i)– यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(ii)– अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2)– जहां–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.16 16:43:07 IST
Reason: SelfAttested

हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3)- वे व्यक्ति, जिनको उपधारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

5. इस प्रकार पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी जोत तक पहुँच के लिए अभिलिखित रास्ता प्रदान करने की मांग आत्यंतिक आवश्यकता पर आधारित है। प्रार्थीगण की जोत खसरा नम्बर 830/4 रकबा 1.3921 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 3227/830 रकबा 1.2950 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 3229/830 रकबा 1.2950 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल तक पहुँच के लिए कोई अभिलिखित रास्ता उपलब्ध नहीं है, जो कि पत्रावली में उपलब्ध भू-नक्शा तथा तहसीलदार जैतारण की ओर से प्रेषित जाँच प्रतिवेदन से सुस्पष्ट है। अतः प्रार्थी द्वारा केवल सुविधा के लिए पहुँच मार्ग की मांग नहीं की गई है। तहसीलदार जैतारण द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रस्तावित विकल्प ग्राम रास से पालियावास जाने वाली मुख्य सड़क खसरा नम्बर 1150 क्षेत्रफल 3.2375 हैक्टेयर से लगते खसरा नम्बर 818 क्षेत्रफल 0.8903 हैक्टेयर किस्म बा0दो0 जो कि राजकी भूमि में से होकर कदीमी रास्ता से आवागमन हेतु उपयोग-उपभोग करते आ रहे है। खसरा नम्बर 818 से आगे खसरा नम्बर 821 क्षेत्रफल 1.8130 हैक्टेयर जो कि गुणेन्द्रसिंह पुत्र शंकरसिंह रावणा राजपूत के नाम दर्ज है, में से रास्ता चल रहा है। प्रस्तावित रास्ता नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया।

6. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील, जैतारण की रिपोर्ट अनुसार प्रभावित आराजी की प्रचलित डीएलसी दर 3,43,977/- रूपये प्रति हैक्टर अर्थात 34.40 रूपये प्रति वर्गमीटर है। उक्त प्रस्तावित रास्ता राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर अर्थात् 3,43,977/- रूपये प्रति हैक्टर अर्थात 34.40 रूपये प्रति वर्गमीटर की दुगुनी अर्थात 68.80 रूपये प्रति वर्ग मीटर मानते हुये राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 818 जिसका कुल रकबा 1638 वर्गमीटर की मुआवजा राशि 1,12,695/- राजकिय भूमि होने से 0029 भू-राजस्व मद में जमा होनी है एवं खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 821 की मुआवजा राशि 44,583/- अप्रार्थीगणों को दिया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बखूबी साबित हो[illegible] स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अप्रार्थी संख्या 02 की [illegible] संख्या 8[illegible] राजकीय सिवायचक भूमि एवं अप्रार्थी संख्या 01 की आराजी खसरा संख्या [illegible] की खातेदारी आराजी में से प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 3227/83[illegible] की सीमा तक पहुँच के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक रास की मौका रिपोर्ट में खसरा संख्या 818 मार्क ए से बी के रूप में दर्शित प्रस्तावित रास्ता जो 128 मीटर लम्बा व 9 मीटर चौड़ा एवं मार्क बी से सी के रूप में दर्शित प्रस्तावित रास्ता जो 54 मीटर लम्बा व 9 मीटर चौड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.16 16:43:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

रास्ता दर्ज किया जाना है जिसके प्रतिकर स्वरूप निर्धारित कुल राशि 1,12,695/- (अक्षरे एक लाख बारह हजार छः सौ पिचानवे रूपये मात्र) प्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रभावित खातेदार राजस्थान सरकार को भू-राजस्व मद 0029 में प्रभावित रकबा एवं हिस्सा अनुसार भुगतान किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा। इसी प्रकार खसरा नम्बर 821 मार्क डी से ई की भूमि में से प्रस्तावित रास्ता जो 72 मीटर लम्बा व 9 मीटर चौड़ा रास्ता दर्ज किया जाना है जिसके प्रतिकर स्वरूप निर्धारित कुल राशि 44,583/-(अक्षरे चौमालीस हजार पाँच सौ तियासी रूपये मात्र) प्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रभावित खातेदार अप्रार्थी संख्या 01 को प्रभावित रकबा एवं हिस्सा अनुसार भुगतान किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें तथा सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी ग्राम रास प्रथम तहसील जैतारण जिला-ब्यावर के खसरा नम्बर 830/4 रकबा 1.3921 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 3227/830 रकबा 1.2950 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 3229/830 रकबा 1.2950 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की जमीन तक पहुँच मार्ग के लिये निकटतम अभिलिखित रास्ता खसरा संख्या 818 राजकीय सिवायचक भूमि में से मार्क ए से बी के रूप में दर्शित प्रस्तावित रास्ता जो 128 मीटर लम्बा व 9 मीटर चौड़ा एवं मार्क बी से सी के रूप में दर्शित प्रस्तावित रास्ता जो 54 मीटर लम्बा व 9 मीटर चौड़ा रास्ता कुल रकबा 1638 वर्गमीटर एवं अप्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 821 बारानी अव्वल भूमि में से मार्क डी से ई की भूमि में से प्रस्तावित रास्ता जो 72 मीटर लम्बा व 9 मीटर चौड़ा रास्ता कुल रकबा 648 वर्गमीटर बनता है, भूमि पर से अप्रार्थीगण खातेदारान की अभिधृति निर्वापित करते हुए, इसका रकबा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता सिवाय चक स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता भूमि की प्रतिकर राशि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर की दुगुनी मानते हुये रास्ते हेतु प्रयुक्त एवं प्रभावित आराजी खसरा नम्बर 818 में से कम किया गया कुल रकबा 1638 वर्गमीटर के लिये कुल प्रतिकर राशि 1,12,695/- (अक्षरे एक लाख बारह हजार छः सौ पिचानवे रूपये मात्र) एवं खसरा नम्बर 821 में से कम किया गया कुल रकबा 648 वर्गमीटर के लिये कुल प्रतिकर राशि 44,583/-(अक्षरे चौमालीस हजार पाँच सौ तियासी रूपये मात्र) निर्धारित करते हुए तहसीलदार, जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित प्रतिकर राशि 1,57,278/- रूपये प्रार्थीगण से प्राप्त कर 1,12,695/- रूपये राजस्थान सरकार को भू-राजस्व मद 0029 में जमा करावें एवं 44,583/-रूपये का प्रभावित खातेदार अप्रार्थी संख्या 01 को भुगतान करें। सम्बन्धित खातेदार द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे तब तक जमा रखें जब तक ऐसे खातेदार वारिसान ऐसी राशि प्राप्त नहीं कर लें। ऐसी राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार, जैतारण भू-अभिलेख में रास्ता अमल-दरामद कर मौके पर सीमाँकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। भू-अभिलेख निरीक्षक रास द्वारा तैयार दिनांक 26.06.2023 की फर्द मौका

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.16 16:43:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

रिपोर्ट इस आदेश का भाग होगी। तहसीलदार जैतारण को तहरीर जारी हों। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक 24/01/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-ब्यावर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.16 16:43:07 IST
Reason: SelfAttested